



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-ए.पी.-अ.-17102026-277224
CG-AP-E-17102026-277224

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5452]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 16, 2026/आश्विन 24, 1948

No. 5452]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 16, 2026/ASVINA 24, 1948

रेल मंत्रालय
(दक्षिण तट रेलवे)

अधिसूचना

विशाखापट्टणम, 28 सितंबर 2026

का.आ. 5669(अ).— रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 20क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट होने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, नीचे संलग्न अनुसूची में जिसका संक्षिप्त विवरण दिया गया है, ऐसी भूमि की आवश्यकता आंध्र प्रदेश राज्य के एनटीआर जिले के कोंडापल्ली मंडल के कोंडापल्ली गाँव में खम्मम-कोंडापल्ली खंड में कोंडापल्ली टीएसएस के निर्माण के लिए है, एतद्वारा उक्त भूमि के अर्जन के अपने आशय की घोषणा करती है।

उक्त भूमि में हितप्रद्ध कोई भी व्यक्ति, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस (30) दिनों की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आपत्ति दर्ज करा सकता है।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी (LA), अर्थात् राजस्व मंडल अधिकारी, विजयवाड़ा के समक्ष लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी तथा उसमें आपत्ति के आधारों का उल्लेख किया जाएगा। सक्षम प्राधिकारी, राजस्व मंडल अधिकारी, विजयवाड़ा, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप से अथवा विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेंगे और ऐसी

सभी आपत्तियों की सुनवाई करने तथा ऐसी अतिरिक्त जाँच, यदि कोई हो, जिसे भूमि अर्जन के सक्षम प्राधिकारी (CALA) आवश्यक समझें, करने के पश्चात् आदेश द्वारा उक्त आपत्तियों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 20(घ) की उप-धारा (II) के अधीन किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि की भू-योजनाएं और अन्य विवरण उपलब्ध हैं और हितप्रद व्यक्ति द्वारा पूर्वोक्त सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण: आंध्र प्रदेश राज्य के एनटीआर जिले के इब्राहिमपट्टणम मंडल के कोंडापल्ली गाँव में खम्मम-कोंडापल्ली खंड में कोंडापल्ली टीएसएस के निर्माण हेतु अर्जित की जाने वाली भूमि।

क्र.सं.	मंडल का नाम	ग्राम का नाम	आर.एस.सं.	एल.ए. में प्रस्तावित क्षेत्रफल (एकड़ में)	ज़मीन का प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	ज़मीन का प्रकार (जी.डी या जी.पी)	ज़मीन का प्रकार
पट्टा भूमि							
1	इब्राहिमपट्टणम	कोंडापल्ली	232-1	1.08	0.437	जी.डी.	पट्टा भूमि
2			234-1बी1	0.44	0.178	जी.डी.	पट्टा भूमि
3			234-1 बी 2	0.38	0.1537	जी.डी.	पट्टा भूमि
4			234-2	0.28	0.1133	जी.डी.	पट्टा भूमि
5			233-1 बी	0.44	0.178	जी.डी.	एपीआईआईसी भूमि
केवल				2.62	1.06		
सरकारी भूमि							
6	इब्राहिमपट्टणम	कोंडापल्ली	233-1ए	0.02	0.008	जीपी	द.म.रेलवे
7			233-2C1ए	0.08	0.0323	जीपी	द.म.रेलवे
8			234-1ए	0.08	0.0323	जीपी	द.म.रेलवे
कुल				0.18	0.0726		
कुल योग				2.80	1.1326		

[फा. सं. W.Con/182/SRP/TSS/KI/20A]

के.सूर्यानारायण, मुख्य इंजीनियर/नि.-II

MINISTRY OF RAILWAYS

(South Coast Railway)

NOTIFICATION

Visakhapatnam, the 28th September, 2026

S.O. 5669(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the schedule annexed hereto, is required for Construction of Kondapalli TSS in Khammam - Kondapalli section in Kondapalli Village & Ibrahimpatnam Mandal in NTR District in the state of Andhra Pradesh, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within a period of thirty (30) days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 20D of the said Act.

Every such objection, shall be made to the Competent Authority(LA), namely, Revenue Divisional officer, Vijayawada in writing and shall be set out the grounds there of and the Competent Authority Revenue Divisional Officer, Vijayawada shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any as the Competent Authority for Land Acquisition(CALA) thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority for Land Acquisition under sub section (ii) of section 20(D) of the said act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority (CALA).

SCHEDULE

Description of lands in Acquisition: Construction of Kondapalli TSS in Khammam - Kondapalli section in Kondapalli Village & Ibrahimpatnam Mandal in NTR District in the state of Andhra Pradesh

Sl. No.	Name of Mandal	Name of Village	RS NO	Proposed Extent in LA in Acres	Proposed Extent in LA in Hectors	Type of Land (GD or GP)	Nature of land
Patta Land							
1	Ibrahimpatnam	Kondapalli	232-1	1.08	0.437	GD	Patta Land
2			234-1B1	0.44	0.178	GD	Patta Land
3			234-1B2	0.38	0.1537	GD	Patta Land
4			234-2	0.28	0.1133	GD	Patta Land
5			233-1B	0.44	0.178	GP	APIIC Land
Total				2.62	1.06		
Government Land							
6	Ibrahimpatnam	Kondapalli	233-1A	0.02	0.008	GP	SC Railways
7			233-2C1A	0.08	0.0323	GP	SC Railways
8			234-1A	0.08	0.0323	GP	SC Railways
Total				0.18	0.0726		
Grand Total				2.80	1.1326		

[F. No. W.Con/182/SRP/TSS/KI/20A]

K.SURYANARAYANA, Chief Engineer/Con-II